निर्णय बईजलास सिद्धार्थ सिहाग आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मिसल न0 ०२ /प्रा0पत्र(रेफरेन्स)/19

:उनवानः

रमेश चन्द आ0 कजोडीलाल जाति मेहर नि0 जूनाखेडा हाल पुलिस लाईन झालावाड़

बनाम

01. भूमि अवाप्ति अधिकारी(उपखण्ड अधिकारी)झालावाड़
02. शिवलाल पुत्र कजोडीलाल जाति मेहर नि0 जूनाखेड़ा तहसील असनावर
03. पूरीलाल पुत्र कजोडीलाल जाति मेहर नि0 जूनाखेड़ा तहसील असनावर
04. मांगीबाई पुत्री कजोडीलाल जाति मेहर नि0 जूनाखेड़ा तहसील असनावर(फोत)
    4/1 पूनमचन्द पुत्र मांगीबाई जाति मेहर नि0 सुकेत तहसील रा0मण्डी जिला कोटा
    4/2 बजरंगलाल पुत्र(मृतक)
    विधिक प्रतिनिधि
    4/2–1 रईस बाबू पुत्र बजरंग जाति मेहर नि0 सुकेत तहसील रा0मण्डी जिला कोटा
    4/2–2 कमलेश पुत्री बजरंग जाति मेहर नि0 सुकेत तहसील रा0मण्डी जिला कोटा
    4/2–3 सत्यवर्ती पुत्री बजरंग जाति मेहर नि0 सुकेत तहसील रा0मण्डी जिला कोटा
    4/2–4 अयोध्या बाई पत्नी बजरंग जाति मेहर नि0 सुकेत तहसील रा0मण्डी जिला कोटा
    4/3 इन्द्राबाई पुत्री मांगीबाई जाति मेहर नि0 जूनाखेडा हाल नि0 रात्याडूंगरी तहसील बकानी
05. पन्नीबाई पुत्री कजोडीलाल जाति मेहर नि0 जूनाखेड़ा तहसील असनावर
06. भूलीबाई पुत्री कजोडीलाल जाति मेहर नि0 जूनाखेड़ा तहसील असनावर
07. ललता पुत्री कजोडीलाल जाति मेहर नि0 जूनाखेड़ा तहसील असनावर

प्रा0पत्र(रेफरेन्स) अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिनियम

उपस्थितः– श्री पूरीलाल राठोर,अभिभाषक प्रार्थी
भूमि अवाप्ति अधिकारी,(उपखण्ड अधिकारी,झालावाड)

–:निर्णयः– दिनांकः 31.07.2019

प्रकरण बाद निर्णय माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश,झालावाड़ से प्राप्त होने पर प्रस्तुत किया गया। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय हाजा के समक्ष प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 18 भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 के तहत प्रस्तुत होने पर 06/प्रा0पत्र,रेफ. /06 दर्ज किया जाकर दिनांक 31.08.2006 को प्रा0पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 19 के तहत माननीय जिला एंव सत्र न्यायाधीश,झालावाड़ को अंतिम निस्तारण हेतु अग्रेषित किया गया जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश,झालावाड को अंतरित किया जाने पर उनके द्वारा बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 22.05.2019 से प्रकरण को धारा 18 के तहत कार्यवाही करने हेतु क्षेत्राधिकारिता के तहत नही मानते हुए गुणावगुण पर नही जाकर जिला कलक्टर को इस निर्देश के साथ भिजवाया कि मामले में नए अधिनियम The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition,Rehabilitationand Resettlement Act,2013 के तहत कार्यवाही किए जाने हेतु उपयुक्त सरकार को भेजी जावे।

जिला कलक्टर
झालावाड़

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को जर्ये सूचना पत्र अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु तलब किया गया। प्रार्थी की और से अभिभाषक श्री पूरीलाल राठोर अप्रार्थी 3 की और से अभिभाषक श्री अजीतसिंह झाला, अप्रार्थी 2,5,6 व 7 की और से अभिभाषक श्री रमेश मेघवाल तथा अप्रार्थी 4 के का0मु की और से अभिभाषक श्री छीतरलाल का वकालतनामा प्रस्तुत हुआ। दौराने सुनवाई अभिभाषक प्रार्थी श्री पूरीलाल राठोर ही उपस्थित हुए अभिभाषक अप्रार्थीगण के दौराने सुनवाई उपस्थित नही होने पर उनका पक्ष नही सुना जा सका ।

बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा दौराने बहस व्यक्त किया कि पूर्व में न्यायालय हाजा के समक्ष प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 18 भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 के तहत प्रस्तुत किया जाने पर दिनांक 31.08.2006 को प्रा0पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 19 के तहत माननीय जिला एंव सत्र न्यायाधीश,झालावाड़ को अंतिम निस्तारण हेतु अग्रेषित किया गया था जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 के प्रावधान समाप्त हो जाने पर नए अधिनियम The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition,Rehabilitationand Resettlement Act,2013 के तहत कार्यवाही किए जाने हेतु उपयुक्त सरकार को भेजी जाने के निर्देश के साथ पत्रावली वापस भिजवाई गई है। प्रार्थीगण द्वारा अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा नही लिया गया है। आरआरटी 2016(2) पेज 1240 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इण्डिया द्वारा Delhi Development Authority vs sukhbir singh & otr (2 Judge bench)में पारित निर्णय दिनांक 09.09.2016 के दृष्टान्त प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी/अप्रार्थी के पक्ष में मुआवजा राशि का चेक बना देने मात्र से भुगतान नही माना जा सकता जबकि पक्षकार द्वारा उसे प्राप्त किया ही नही गया हो। भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 24(2) अनुसार भूमि अवाप्ति पश्चात भूमि का मुआवजा प्रार्थी द्वारा नही लिये जाने पर निश्चित अवधि में सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन कर दिया जाने पर प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु सक्षम अथोरिटी को भिजवाये जाने के प्रावधान है। प्रकरण को सक्षम अथोरिटी के समक्ष भिजवाने का अनुरोध किया गया है।

इस पर भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा व्यक्त किया गया कि प्रार्थी/अप्रार्थीगण की ग्राम मोडी पटवार मण्डल जूनाखेड़ा तहसील असनावर की आराजी ख0न0 137,138,139,140 भूमि अवाप्ति की जाकर मुआवजे का निर्धारण कर चैक जारी किया जाकर वितरण हेतु तहसीलदार असनावर को भिजवाया गया था जिस पर भूमिधारियों द्वारा उक्त मुआवजा राशि का चैक लेने से दिनांक 06.06.2006 को मना किया जाने की रिपोर्ट तहसीलदार असनावर द्वारा पत्रांक 167 दिनांक 09.06.2006 से की गई है। प्रार्थी/अप्रार्थीगण द्वारा रेल्वे विभाग को रेलवे लाईन का कार्य नही करने दिया जा रहा है। नवीन प्रावधान के अनुसरण में प्रकरण का निस्तारण का अनुरोध किया गया है।

हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया व बहस उभय पक्ष पर मनन किया। प्रकरण में पश्चिम मध्य रेलवे कोटा की और से उपखण्ड अधिकारी,झालावाड़ को दिनांक 05.07.2019 को भिजवाये गये पत्र की प्रतिलिपी कार्यालय हाजा में भिजवाई गई उसी क्रम में भूमि अवाप्ति अधिकारी(उपखण्ड अधिकारी)झालावाड़ द्वारा अपने पत्रांक 171 दिनांक 08.07.2019 को विस्तृत रिपोर्ट भिजवाई गई है। प्रकरण के अवलोकन से यह तो जाहिर है कि प्रार्थी/अप्रार्थीगण द्वारा उनकी खातेदारी की जिस आराजी को अवाप्त किया गया है उसका मुआवजा राशि का चैक लेने से दिनांक 06.06.2006 को मना किया गया है। प्रकरण में अन्तिम विनिश्चय से पूर्व माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इण्डिया द्वारा Indore Develoment Authority vs Shailendra(Dead) Through Its.....on 8 February,2018(3 Judge bench) में पारित निर्णय का उल्लेख किया जाना उचित प्रतीत होता है, माननीय न्यायालय द्वारा पारित अपने निर्णय में स्पष्ट किया गया है "Once the amount of compensation has been unconditionally tendered and it is

जिला कलक्टर
झालावाड़

refused, that would amount to payment and the obligation under section 31(1) stands discharged and amount to discharge of obligation of payment under section 24(2) of the Act of 2013 also and it is not open to the person who has refused to accept compensation, to urge that since it has not been deposited in court, acquisition has lapsed. Claimant/landowners after refusal, cannot take advantage of their own wrong and seek protection under the provision of section 24(2) "

उपरोक्तानुसार माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश,झालावाड द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.05.2019 जिसके द्वारा The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition,Rehabilitationand Resettlement Act,2013 के तहत कार्यवाही किए जाने हेतु उपयुक्त सरकार को भेजी जाने के निर्देश के कम में हमारे विनम मत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इण्डिया द्वारा पारित न्यायिक निर्णय Indore Develoment Authority vs Shailendra(Dead) Through Its.....on 8 February,2018(3 Judge bench) के आलोक में The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition,Rehabilitationand Resettlement Act,2013 के section 24(2) के प्रावधान का लाभ इस प्रकरण पर लागू नही होता है, प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान स्वंय द्वारा मुआवजे का भुगतान लेने से इन्कार किया गया है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार पक्षकारान अपने स्वंय की गल्ती का लाभ नही ले सकते हैं। इस कारण इस प्रकरण में भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 के प्रावधान ही लागू होगें और उक्तानुसार निर्धारित मुआवजे की राशि पक्षकारान प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार प्रस्तुत प्रा0पत्र (रेफरेन्स) में कोई अग्रिम कार्यवाही न्यायालय जिला कलक्टर स्तर पर अपेक्षित नही है। अतः प्रकरण का इसी अनुरूप निस्तारण किया जाता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे विधि द्वारा सुस्थापित प्रकियानुसार पक्षकारान को निर्धारित मुआवजे का भुगतान करे इसी कम में अधिशाषी अभियन्ता प0म0रेल्वे कोटा को आदेशित किया जाता है कि वे राज्य हित में अधिग्रहित भूमि का कब्जा जर्ये उचित माध्यम अविलम्ब प्राप्त कर नियमानुसार कार्य प्रारम्भ करें। निर्णय से असन्तुष्ट होने की दशा में पक्षकारान भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 के प्रावधानानुसार उपयुक्त सरकार (आरबीट्रेटर) (उप मुख्य अभियन्ता ।। प0म0रेल्वे) के समक्ष अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतन्त्र हैं। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 31.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर
झालावाड